भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 611

(जिसका उत्तर 18 नवंबर, 2016/27 कार्तिक,1938 (शक) को दिया जाना है)

बैंकों में आरक्षण

611. डॉ॰ उदित राजः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 9.1.2015 को उच्चतम न्यायालय ने अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰ श्रेणी से संबंध रखने वाले अधिकारियों को दी जाने वाली छूटों के बारे में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिनांक 1.11.1990 के कार्यालयी ज्ञापन के पैरा 2 में उल्लेखित शब्द "छूट" (कन्सेशन) का अर्थ स्पष्ट किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को सरकारी बैंकों में लेवल 6 तक आरक्षण के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इसे स्पष्ट करने हेतु कोई अनुदेश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 09.01.2015 के अपने निर्णय में श्रेणी-क को सेवा के अंतर्गत वेतनमान 6 तक, जिनका वेतन प्रतिमाह 5700 रुपए तक हो, को छूट प्रदान करने के स्थान पर पदोन्नति में आरक्षण हेतु निदेश दिया, जिसे उन्होंने दिनांक 08.01.2016 के अपने निर्णय के द्वारा बदल दिया है।

सरकार के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 09.01.2015 तथा दिनांक 08.01.2016 के निर्णय के निदेशों पर विचार किया गया है और यह पाया गया कि समग्र प्रतिशतता के आधार पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में श्रेणी-क के कर्मचारियों की संख्या की तुलना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के प्रतिनिधि क्रमशः 17.79% तथा 7.53% है, जो भारत सरकार की मौजूदा आरक्षण नीति के अनुसार 15% और 7.5% की शर्तों को पूरा करते हैं। बैंकों में श्रेणी-क के पदों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के प्रतिनिधित्व को स्पष्ट करने के लिए दिनांक 20.10.2016 को अनुदेश जारी किया गया था।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को दिनांक 18.02.2014 को स्पष्ट किया गया था कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 07.06.2013 के कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित छूट पीएसबी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के अधिकारियों को अधिकारी संवर्ग में पदों पर चयन द्वारा पदोन्नति में मध्यम प्रबंधन ग्रेड वेतनमान-III अथवा ग्रेड-सी (अधिकारियों के संवर्ग में तीन न्यूनतम श्रेणी), जो भी लागू हो, तक प्राप्त होगी।

(ख) और (ग): *कुछेक एससी/एसटी संघों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से उनकी जांच की गई थी। डीओपीटी ने सूचित किया है कि वर्तमान अनुदेशों की समीक्षा हेतु ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।*

*****